ORDER-SHEET

The Electricity Ombudsman, MPERC, 5th Floor, Metro Plaza, Bhopal

Case No.L00-06/2017

Date of order of proceeding	Order of proceeding with Signature of presiding officer श्री कामता प्रसाद गुप्ता, शहडोल	Signature of parties or pleaders where necessary
08-06-2017	दिनांक 08.06.2017 को सुनवाई में आवेदक अनुपस्थित तथा अनावेदक की ओर से श्री आर.सी. सोनी, कार्यपालन यंत्री, शहडोल उपस्थित हुए। 2 आवेदक द्वारा विद्युत शिकायत निवारण फोरम, जबलपुर के आदेश दिनांक 30.12.2016 से असंतुष्ट होकर अपील अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जिसमें उनके द्वारा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उनके विद्युत देयक में औसत खपत के आधार पर दिये गये विद्युत देयकों का समायोजन किये जाने का उल्लेख किया, परन्तु समायोजित की गई राशि की गणना नियमानुसार नहीं की है जिससे उन्हें लगभग रू. 500/— का कम समायोजन दिया गया। 3 आवेदक द्वारा बताया गया कि अनावेदक द्वारा उनको दिये गये विद्युत देयक में समायोजन की राशि की गणना करने की विधि को गलत ठहराते हुए अपील में अनुरोध किया है कि विद्युत लोकपाल महोदय देखें कि इस तरह की गलती करके अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अन्य उपभोक्ताओं के साथ भी अन्याय किया जा रहा है एवं उक्त गलती को सुधारवाते हुए उन्हें राहत प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। 4 अनावेदक की ओर से उपस्थित श्री आर.सी. सोनी, कार्यपालन यंत्री द्वारा प्रस्तुत लिखित प्रतिउत्तर में उपभोक्ता फोरम, जबलपुर के समक्ष आवेदक के विद्युत देयक में औसत बिल की समायोजित राशि की गणना में त्रुटि होना स्वीकार करते हुए आवेदक को नियत प्रभार में 320/— रूपये की छूट एवं माह अक्टूबर में 283 यूनिट की एकसाथ की गई बिलिंग को स्लेब रेट के आधार पर देयक को संशोधित कर रूपये 425/— की अतिरिक्त छूट देने की सहमति दी है। इस प्रकार आवेदक के विद्युत देयक में पूर्व में समायोजित की गई राशि रूपये 910/— के अलावा रूपये 745/— का अतिरिक्त समायोजन किया जाना है जो कि आवेदक की मांग के अनुरूप है। अतः आवेदक के कथन की पुष्टि होती है कि अनावेदक द्वारा बिलिंग किये जाने में त्रुटि की जा रही है। अतः अनावेदक को निर्देशित किया गया कि वे ऐसे प्रकरणों को ध्यानपूर्वक देखा करें एवं नियमानुसार विद्युत देयकों को संशोधित किया करें। 5 चूंकि अनावेदक द्वारा बिलिंग में गलती की जाने को स्वीकार करते हुए रूपये 745/— का अतिरिक्त समायोजन आवेदक के अगले माह के विद्युत देयक में दिये जाने हेतु सहमति प्रदान की है। अतः अनावेदक को निर्देशित किया गया है कि आवेदक के जुलाई 2017 के विद्युत देयक में रूपये 745/— की राशि का समायोजन किया जाए। 6 उपरोक्तानुसार आवेदक को सूचित किया जाए। फोरम का अभिलेख वापिस हो। **विद्युत लोकपाल**	